# ग्राम पंचायत सिम्बल खोला, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिम्बल खोला विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति वीना देवी | 01.04.13 से 22.01.16 |
| 2 | श्रीमति प्रवीण कुमारी | 23.01.16 से लगातार |

सचिव :-

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री धीरज शर्मा | 01.04.13 से 17.07.13 |
| 2 | श्री रमिन्दर सिंह | 18.07.13 से 24.06.14 |
| 3 | श्री अजय सिंह | 25.06.14 से 31.03.16 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत सिम्बल खोला के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.3 | नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना | - |
| 3 | 5 | पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना | 0.06 |
| 4 | 6 | निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना | - |
| 5 | 7 | अनुदान का उपयोग न करना | 1.68 |
| 6 | 9 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना | 3.45 |
| 7 | 10 | क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना | 1.98 |
| 8 | 11 | आपूर्तिकर्ताओं को अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे | 0.06 |
| 9 | 13 | स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे | 0.18 |

## भाग-दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सिम्बल खोला विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार , आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 06.10.16 से 14.10.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| **वित्तीय वर्ष** | **आय** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2013-14 | 07/2013 | 09/2013 |
| 2014-15 | 03/2015 | 12/2014 |
| 2015-16 | 04/2015 | 05/2015 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

## 3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सिम्बल खोला विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि ०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 245 दिनांक 14.10.16 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या (KCCB) 813754 दिनांक 18.10.16 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि ०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

## 4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सिम्बल खोला, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

**(1) स्व: स्त्रोत :-** ग्राम पंचायत सिम्बल खोला , के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 81058 | 29784 | 110842 | 11465 | 99377 |
| 2014-15 | 99377 | 74292 | 173669 | 30369 | 143300 |
| 2015-16 | 143300 | 31515 | 174815 | 33208 | 141607 |

**(2) अनुदान:-** ग्राम पंचायत सिम्बल खोला , के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 253284 | 1079524 | 1332808 | 105356 | 279243 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | |
| 2014-15 | 279243 | 877569 | 1156812 | 798550 | 358262 |
| 2015-16 | 358262 | 991332 | 1349594 | 118202 | 167571 |
| | | | | 3 | |

## 4.1 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

**स्व स्त्रौत :-**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 141607

**अनुदान :-**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 167571

| | |
|---|---|
| कुल | ₹309178 |
| दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष | ₹308783 |
| कुल | ₹309178 |
| हस्तगत राशि | ₹ 395 |
| अन्तर की राशि | शून्य |

| बैंक खाता संख्या | राशि |
|---|---|
| MNREGA, CBI – 69509 | 0 |
| General, Own Source, KCCB – 04707 | 301287.00 |
| NCRF, KCCB- 63605 | 4755.00 |
| 3rd State Commission KCCB – 63548 | 196.00 |
| VKNY, KCCB- 63616 | 549.00 |
| 13TH FC , KCCB – 63537 | 1398.00 |
| SDP, KCCB- 63627 | 594.00 |
| IAY KCCB – 51792 | 4 |
| **कुल राशि** | **308783.00** |

## 4.2 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना</u> :-

ग्राम पंचायत सिम्बल खोला की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**4.3 <u>नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-</u>**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता-क एवं खाता-ख के अनुरूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व प्राप्त अनुदानों को खाता-ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

**5 <u>पंचायत राजस्व ₹0.06 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-</u>**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹ 5530 की वसूली शेष थी ।

1 गृहकर :

| **वर्ष** | **अथशेष** | **मांग की जानी अपेक्षित** | **योग** | **प्राप्ति** | **वसूली हेतु शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 2530 | 8030 | 10560 | 10530 | 30 |
| 2014-15 | 30 | 12600 | 12630 | 9600 | 3030 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 3030 | 12150 | 15180 | 9650 | 5530 |

**2 भू- राजस्व की वसूली न करना :-** पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2013-14 से 2015-16 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए ग थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

**6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

**7 <u>अनुदान ₹1.68 लाख का उपयोग न करना</u> :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹167571 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

**8 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹ 50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

**9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 3.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹345335 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**10 ₹1.98 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम

2002 के नियम 69 , 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹197509 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

**11 <u>आपूर्तिकर्ताओं को ₹5534 का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-</u>**

**(1)** अंकेक्षण में पाया कि वर्ष 2014-15 में पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए श्री राजेन्द्र सिंह की दरों को अनुमोदित किया गया था लेकिन इन दरों के अनुमोदन संबन्धित कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं निम्न कार्यों की आपूर्ति में अनुमोदित दरों से अधिक दरों का भुगतान किया गया था एवं आपूर्ति में वैट की राशि का अलग से भुगतान किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता ने अपनी निविदा में सामग्री की राशि पर वैट अलग से लेने संबन्धित कोई शर्त नहीं रखी थी। अतः अनुमोदित दरों से अधिक दरों एवं वैट का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹5134 की वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

| **वाउचर संख्या व कार्य का नाम** | **बिल का विवरण** | **क्रय सामग्री का विवरण** | **अनुमोदित दरें ( per CFT)** | **अधिक भुगता** |
|---|---|---|---|---|
| 11 दिनांक -<br>नि. चैक डैम बंगसार नाला नजदीक हैंड पम्प | बिल संख्या 536<br>दिनांक 06.04.14<br>M/s Rajender Singh | 125 CFT पत्थर @ ₹ 22 per CFT<br>500 CFT क्रशर @ ₹ 30 per CFT<br>300 CFT रेत @ ₹ 32 per CFT<br>150 CFT खड्ड बजरी @ ₹ 24 per cft<br>VAT ₹ 1816/- | 22<br>30<br>32<br>23<br>- | -<br>-<br>-<br>150<br>1816 |
| 13 दिनांक -<br>नि. चैक डैम नजदीक | बिल संख्या 535<br>दिनांक 06.02.14<br>M/s Rajender | निर्माण सामग्री ₹ 24720/-<br>VAT ₹ 1300/- | -<br>- | <br>1300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पुरानी बाबड़ी सिम्बल खौला | Singh | | | |
| 15 दिनांक - नि. वाटर टैंक , रणवीर सिंह | बिल संख्या 533 दिनांक 21.01.14 M/s Rajender Singh | निर्माण सामग्री ₹ 3940/- VAT ₹ 347/- | - - | 347 |
| 17 दिनांक - नि. कुहल व रास्ता बलदेव की जमीन से पक्की सड़क तक | बिल संख्या 534 दिनांक 21.01.14 M/s Rajender Singh | 500 CFT पत्थर @ ₹ 22 per CFT<br>300 CFT क्रशर @ ₹ 30 per CFT<br>200 CFT रेत @ ₹ 32 per CFT<br>80 CFT खड्ड बजरी @ ₹ 24 per cft | 22<br>30<br>32<br>23<br>- | -<br>-<br>-<br>80 |
| 19 दिनांक - नि. पौण्ड प्यार चन्द की जमीन | बिल संख्या 542 दिनांक 21.12.13 M/s Rajender Singh | निर्माण सामग्री ₹ 18960/- VAT ₹ 1441/- | - - | 1441 |
| | | अधिक भुगतान की गई राशि | | **5134.0** |

**(2)** वाउचर संख्या 6 दिनांक 10.05.13 की जांच में पाया कि बिल संख्या 771 दिनांक 18.04.13 द्वारा कार्य " नि. महिला मण्डल बार्ड -5 " के लिए मै. सूद हार्डबेयर स्टोर से ₹29209 की ईटें व स्टील का क्रय किया गया था । बिल की जांच में पाया कि 12mm की 98.60 किलोग्राम स्टील के लिए ₹ 45.50 प्रति किलोग्राम की दर से 4886/- का भुगतान किया गया था जबकि इस दर से ₹4486 (98.6X45.5) का भुगतान देय था। अतः उक्त बिल में आपूर्तिकर्ता को ₹ 400 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

**12 <u>आपूर्तिकर्ताओं को दो वर्ष की अवधि के पश्चात ₹5159 भुगतान करने बारे :-</u>**

वाउचर संख्या 37 दिनांक 07.11.14 की जांच में पाया कि आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज राजेन्द्र सिंह ने पंचायत के कार्य "नि. नालियाँ विजय सिंह के घर के पास" में बिल संख्या 541 दिनांक 26.12.12 द्वारा ₹5159 के मूल्य की निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी एवं भुगतान 11/2014 में किया गया था अर्थात आपूर्ति के दो वर्ष के पश्चात भुगतान किया गया था जबकि उक्त कार्य के लिए ₹15000

पत्र संख्या 6593-6600 दिनांक 25.05.12 द्वारा स्वीकृत की गई थी एवं रसीद संख्या 30349 द्वारा प्राप्त करके रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 177 में प्रविष्टि की गई थी । अतः जब कार्य की समस्त राशि यथासमय प्राप्त कर ली गई थी तो भुगतान में विलम्ब के कारण से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं इस कार्य की माप पुस्तिका, परिमाप संबन्धित प्रविष्टियाँ एवं इस कार्य के पूर्ण करने की दिनांक से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**13 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹18088 की वसूली करने बारे :-**

जांच में पाया कि कार्य "नि.जंजघर बार्ड-4" के लिए General Grant के अंतर्गत पत्र संख्या के.जी.आर./पं.घर/2609-22 दिनांक 19.10.06 द्वारा ₹150000 स्वीकृत एवं प्राप्त की गई थी , जबकि अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अनुदान सूची में इस कार्य में ₹168088 खर्च के रूप में दर्शाई गई थी अर्थात इस कार्य पर ₹18088 अधिक खर्च कर दी गई थी एवं सचिव द्वारा वही खाते तैयार न करने के परिणामस्वरूप इस कार्य पर किए गए वास्तविक व्यय का भी पता नहीं चल सका। अतः उक्त कार्य पर किए गए वास्तविक व्यय से अंकेक्षण को सूचित किया जाए एवं अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति/ वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।

5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।

6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

**15 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**16 <u>लघु आपति विवरणिका</u> :-**

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

**17 निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 50 / 2016–खण्ड–1–1081–1084 दिनाँकः 16.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत** 1 सचिव, ग्राम पंचायत सिम्बल खोला, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.